संख्या- 31 /2026/ 1226503/सात-न्याय-9(बजट)-2026-07-9099/3/2024

प्रेषक,

उदय प्रातप सिंह,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद,

उत्तर प्रदेश।

न्याय अनुभाग- 9(बजट) **लखनऊ: दिनांक 05 फरवरी, 2026**

विषय: उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में तकनीकी मैन पावर के अस्थाई पदों की वर्ष 2026-2027 की निरंतरता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-6583/EPTS/2025/AHC/Allahabad, दिनांक 17.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में तकनीकी मैन पावर के अस्थाई पदों की आवश्यकता के दृष्टिगत पदों के कार्यकाल में वृद्धि किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अवगत कराना है कि न्याय विभाग के शासनादेश सं0- 74/2025/902943/सात-न्याय-9 (बजट)-2025-07-9099/3/2024, दिनांक 11.03.2025 द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत मा० उच्च न्यायालय की ई-कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 18.11.2016 के क्रम में आई०सी०टी० योजनान्तर्गत तकनीकी मैनपावर के 205 अस्थायी पदों की निरन्तरता दिनांक 01.03.2025 से 28.02.2026 तक प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई०सी०टी० योजनान्तर्गत तकनीकी मैनपावर के उक्त 205 अस्थाई पदों की निरन्तरता दिनांक 01.03.2026 से 28.02.2027 तक प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त पदों को इससे पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दी जाय।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2014-न्याय प्रशासन-105-सिविल और सेशंस न्यायालय-19-तकनीकी मैनपावर की व्यवस्था-07-मानदेय मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-12-463-X-2025-26, दिनांक: 03.02.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

उदय प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव।

संख्या- 31 /2026/ 1226503 (1)/सात-न्याय-9 (बजट)-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
3. प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, दशम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन प्रयागराज
6. समस्त कोषाधिकारी, समस्त जनपद न्यायाधीश, उ0प्र0।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
9. गार्डबुक।

आज्ञा से,

मुकेश कुमार सिंह-II

विशेष सचिव।

http://s

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।